

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/

दिनांक:-/04/2017

—:: आदेश ::—

डॉ० चन्द्रेश मीणा, चिकित्सा अधिकारी (गायनी) व डॉ० लक्ष्मी परिहार (मीणा), चिकित्सा अधिकारी (गायनी) राजकीय जिला चिकित्सालय, बून्दी को तुरन्त प्रभाव से निदेशालय, मुख्यालय जयपुर में आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/ 122

दिनांक:- 13...../04/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन कोटा को शिकायत की प्रति भेजकर लेख है कि सम्बन्धित चिकित्सकों की जांच कर जांच रिपोर्ट मय अपनी टिप्पणी के साथ निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि चिकित्सक दोषी पाये जाते है तो उनके विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत आरोप-पत्रादि तैयार कर भिजवायें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सम्बन्धित/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित।
6. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर